UPMO0010064182026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच 0 जे0 एस 0)

J.O. Code–UP 1895

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1780/2026

1. संजीव उम्र 32 वर्ष,
2. बिट्टू उम्र 28 वर्ष,

पुत्रगण स्व 0 श्री सौराज सिंह, निवासी ग्राम रसूलपुर सुनवाती, थाना मझोला, जिला–मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–412/2026,
धारा–109(1), 115(2), 352, बी0 एन 0 एस 0,
थाना–मझोला, जिला–मुरादाबाद।

11.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्तगण संजीव व बिट्टू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–412/2026, अन्तर्गत धारा–109(1), 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र/शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि, अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा सुभाष द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 23.04.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, वह सुभाष पुत्र ईश्वर चन्द्र, राशुलपुर सुनवाती, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद का निवासी है। दिनांक 20.04.2026 को उसके पड़ोसी छुटआ पुत्र रायसिंह के बेटे की लग्न (शादी समारोह) थी, जिसमें उसके पुत्रगण कल रात्रि से ही खाना पीना कराने में सहयोग कर रहे थे। आज लगभग शाम 05 बजे उसका पुत्र विकास खाना खिलवा रहा था, उसी दौरान खाना खिलाने को लेकर आपस में

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.06.11 17:41:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर संजीव और बिट्टू (दोनों भाई) ने मिलकर उसके पुत्र विकास के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जमीन पर गिराकर लात–घूसों से बुरी तरह पीटा। शोर–शराबा सुनकर जब उसके घर के लोग व उसकी पत्नी राजमाला मौके पर पहुंचे और बीच–बचाव करने का प्रयास किया, तो संजीव और बिट्टू ने उसकी पत्नी राजमाला से बत्तमीजी की और कपडे फाड़ दिए और जब भतीजा बिक्की आया, तो तेज–धार हथियार एवं लोहे की भारी रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में उसके भतीजे शिवराज के सिर में तथा उसके छोटे पुत्र बिक्की के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण संजीव व बिट्टू के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–76, 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, वादी मुकदमा ने प्रार्थीगण को रंजिशन पुलिस से हमसाज होकर झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह निर्दोष हैं। उन्होंने वादी मुकदमा के लड़के विकास के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की, न ही गाली–गलौज की है। वादी मुकदमा, शादी समारोह में शराब पीकर महमानों व रिश्तेदारों के साथ गाली–गलौज कर रहा था। प्रार्थीगण व अन्य मेहमानों ने गाली देने को मना किया, जिस पर वादी मुकदमा सुभाष व सुभाष के तीनों पुत्र विकास, विक्की व शुभम, सभी ने प्रार्थी संजीव के साथ चाकू व डण्डों से जान से मारने की नियत से हमला किया। प्रार्थीगण के द्वारा 112 नंबर पुलिस बुलायी। प्रार्थी संजीव का थाना पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया। रिपोर्ट दर्ज हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थाना पुलिस वादी मुकदमा सुभाष से हमसाज होकर प्रार्थीगण के विरुद्ध उल्टा उल्टा झूठा मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया। उसने उक्त मुकदमे में जमानत हेतु स्वयं न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के द्वारा प्रार्थीगण की मौके से गिरफ्तारी नहीं है। वादी मुकदमा के पुत्र विकास के कोई फायर इन्जरी नहीं है, सामान्य चोटें हैं, जोकि सुभाष व उसके लड़के विकास द्वारा झूठा मुकदमा लिखाने के उद्देश्य से स्वयं के द्वारा झूठी चोटें बनाकर झूठा मुकदमा लिखवाया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह सजायाफ्ता मुल्जिम नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की पत्नी राजमाला, भतीजे शिवराज एवं पुत्र विकास को जान से मारने की नियत से चोटें पहुॅचाई हैं। अपराध गंभीर

प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रश्नगत घटना दिनांक 20.04.2026 की है, जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 23.04.2026 को दर्ज करायी गयी थी। तहरीर में वर्णित कथनानुसार दिनांक 20.04.2026 को वादी के पड़ोसी छुटआ के पुत्र की लग्न थी, जिसमें वादी के पुत्रगण खाना पीना कराने में सहयोग कर रहे थे। लगभग शाम 05 बजे वादी का पुत्र विकास खाना खिलवा रहा था, उसी दौरान खाना खिलाने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर प्रार्थी/अभियुक्तगण ने मिलकर वादी के पुत्र विकास के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जमीन पर गिराकर लात–घूसों से बुरी तरह पीटा। शोर–शराबा सुनकर जब वादी के घर के लोग व वादी की पत्नी राजमाला मौके पर पहुंचे और बीच–बचाव करने का प्रयास किया, तो प्रार्थी/ अभियुक्तगण ने वादी की पत्नी राजमाला से बत्तमीजी की और कपडे फाड़ दिए और जब उसका भतीजा बिक्की आया, तो तेज–धार हथियार एवं लोहे की भारी रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में वादी के भतीजे शिवराज के सिर में तथा उसके छोटे पुत्र बिक्की के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। पत्रावली पर उपलब्ध मजरूबा राजमाला की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर दो साधारण चोटें आना अंकित हैं, जिनकों डॉक्टर द्वारा 04–05 दिन पुरानी होना अभिलिखित किया गया है तथा मजरूब शिवराज की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर चार साधारण चोटें आना अंकित हैं। इसके अतिरिक्त मजरूब विकास की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर चार साधारण चोटें आना दर्शित हैं। मजरूब विकास के द्वारा अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसके आधार पर मजरूब की पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार की गयी, जिसमें उसकी चोट सं0–04 को साधारण प्रकृति की चोट होना अभिलिखित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 26.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी /अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण संजीव व बिट्टू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1780/2026, मुकदमा अपराध संख्या–412/2026, अन्तर्गत धारा–109(1), 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण, प्रत्येक को मु0–75,000/– रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– प्रार्थी/अभियुक्तगण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेंगे।

(ii)– प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

(iii)– प्रार्थी/अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेंगे।

(iv)– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

स्टेनो– अंकित कुमार

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
11.06.2026